मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-1-3-2009-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

(एक) शीर्षक अठारह-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 18-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"18-ख. जनश्री बीमा योजना (नगरीय क्षेत्र)"

(दो) शीर्षक बाईस-पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 25-क तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"25-ख. आम आदमी बीमा योजना"

"25-ग. जनश्री बीमा योजना (ग्रामीण क्षेत्र)".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र. एफ-ए 1-3-2009-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 1-3-2009-एक (1), दिनांक 31 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2010

No. F. 1-3-2009-One-(I).—In exercise of the powers conferred by Clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

(i) under the heading XVIII-Urban Administration and Development Department, in Part (A), after serial number 18-A and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"18-B. Janshree Bima Yojna (Urban Area)";

(ii) Under the heading XXII-Panchayat and Rural Development Department, in Part (A), after serial number 25-A and entry relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

"25-B. Aam Aadmi Bima Yojna."

"25-C. Janshree Bima Yojna (Rural Area)";

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R.VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.